राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 156 / SEIAA/2022
Date: 13/4/22

प्रति,

सदस्य सचिव,
SEAC,
अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

विषयः–प्रकरण कमांक 9074/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री रघुराज सिंह, निवासी– ग्राम सरसैनी, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 25000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 34, रकबा 1.61 हेक्टेयर, ग्राम विधनिया, तहसील दतिया, जिला दतिया (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन ।

प्रकरण में य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 717 वी बैठक दिनांक 08.04.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गयाः–

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 562वी बैठक दिनांक 29.03.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

SEAC द्वारा अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खनन क्षेत्र से खदान स्थल के उत्तर दिशा में 70 मीटर पर रोड हैं तथा पूर्व दिशा में 290 मीटर पर कच्चा रोड़ है । इसी प्रकार आवंटित क्षेत्र के उत्तर–पश्चिम दिशा में 75 मीटर पर तथा दक्षिण–पश्चिम दिशा में 230 मीटर पर नहर होना बताया गया है। चूँकि माननीय एनजीटी के ओ.ए. नंबर 304/2019 में पारित आदेश एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश दिनांक 09.07.2020 के परिपालन में मानव बसाहट/ संवेदनशील क्षेत्र/ राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग/ पब्लिक रोड़/ पुल/ बांध/ नदी/ नहर इत्यादि में प्रस्तावित खनन क्षेत्र से नॉन ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 100 मीटर और ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 200 मीटर की प्रतिबंधित दूरी निर्धारित है।

अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार आदेश एवं निर्देशों के परिपालन में पब्लिक रोड़ एवं नहर से प्रतिबंधित दूरी के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि खनन योग्य क्षेत्र की न्यूनतम उपलब्धता के दृष्टिगत पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण SEAC को प्रेषित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण का परीक्षण कर पुनः अनुशंसित किया जाये, तदानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जायेंगी।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 157 /SEIAA/2022 दिनांक – 13/4/22
प्रतिलिपिः–

श्री रघुराज सिंह, निवासी– ग्राम सरसैनी, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.) को सूचनार्थ ।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी